न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 327/2021 तारीख रजू:– 25.08.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1. पुरूषोत्तम पुत्र हरिचरण
2. मानसिंह पुत्र मनोहरी
3. रूपसिंह पुत्र डोडी

जाति माली निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————— सायलान

बनाम

1. कुन्दन पुत्र पांच्या जाति माली निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
2. अरविन्द कुमार सोनी पुत्र मुरारीलाल सोनी जाति सोनी निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
3. तहसीलदार, तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ——— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मोहन अवस्थी एडवोकेट सायलान

2. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट गैरसायल सं01

निर्णय

दिनांक :– 30-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि [illegible]जा [illegible]रा नम्बर 2884 रकबा 0.38 है0, 2885 रकबा 0.30 है0, 2886 रकबा 0.20 [illegible]887 रकबा 0.18 है0, 28894 रकबा 0.31 है0, 2895 रकबा 0.24 है0, 2899 रकबा 0.01 है0, 2900 रकबा 0.13 है0, 2900/2940 रकबा 0.17 है0, 2901 [illegible]बा 0.08 है0, 2901/2941 रकबा 0.18 है0, 2902 रकबा 0.09 है0, 2903 रकबा 0.10 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

2903/2942 रकबा 0.11 है0, 2904 रकबा 0.13 है0, 2904/2943 रकबा 0.11 है0, 2905 रकबा 0.24 है0, 2906 रकबा 0.38 है0, 2907 रकबा 0.41 है0, कुल किता 19 कुल रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र में सायल नं01 पुरूषोत्तम का 1/36 हिस्सा, सायल नं02 मानसिंह का 1/48 हिस्सा, सायल नं03 रूपसिंह का 1/18 हिस्सा है तथा गैरसायल नं01 कुन्दन का 1/2 हिस्सा है तथा अन्य खातेदारान प्रतिवादी सं0 3 लगायत 17 अपने अपने हिस्से के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र का सायलान एवं गैरसायल सं01 व मूल वाद के प्रतिवादी सं03 लगायत 17 के मध्य पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो चुका है और बहामी बंटवारे के अनुसार सायलान व गैरसायल नं01 तथा मूल वाद के प्रतिवादी नं03 लगायत 17 अपने अपने हिस्से की जमीनों पर काबिज काश्त हैं। सायलान के हिस्से में बाहमी बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 2886 रकबा 0.20 है0 आयी है तथा अन्य आराजीयात में भी सायलान का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है लेकिन अभी विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सायलान अपने हिस्से की आराजीयात खसरा नम्बर 2886 में वर्तमान साख में बाजरा की फसल बोयी है, जो कि मौके पर सरसब्ज हालत में खडी हुयी है। सायलान बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से की भूमि को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार सायलान का प्राइमाफेसी केस बखूबी [illegible] है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायल सं01 व अन्य खातेदारान ने उक्त आराजीयात मद नं01 [illegible] का विधिवत बंटवारा करने का निवेदन किया लेकिन गैरसायलान टालते चले आ रहे हैं। गैरसायल सं01 तेज तर्राट किस्म का बेईमान प्रवृति का आदमी है, जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

सायलान के बाहमी बंटवारे में आयी भूमि को जबरन छीनना चाहता है या रहन वय करने पर आमादा रहता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 15.08.2021 को गैरसायल सं02 अरविन्द कुमार सायलान के हिस्से की आराजीयात जो उनको बाहमी बंटवारे में मिली है पर आया और आते ही वादीगण से कहा कि मैने यह जमीन गैरसायल सं01कुन्दन से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.08.2021 को खरीद कर ली है आप अपना कब्जा छोड दो मैं इस पर कब्जा करूंगा। सायलान ने कहा कि भाई यह जमीन हमारी है और हमकों यह भूमि बाहमी बंटवारे में मिली है, वैसे भी अभी इन जमीनों का विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है, गैरसायल नं01 को बिना विधिक बंटवारा हुए जमीनों को बेचने का अधिकार नहीं है। इसके बाद गैरसायल सं01 कुन्दन के पास सायलान गये और सायलान ने कहा कि आपने हमारे बाहमी बंटवारे में आयी भूमि को अरविन्द को क्यों बेच दिया, इस पर गैरसायल सं01 नाराज हो गया और कहा कि तुम पर बने वह कर लो मुझे तो बेचना था सो बेच दी और अब से आगे और तुम्हारे हिस्से की और जमीनों को बेच दूंगा या रहन कर दूंगा। गैरसायल नं01 विधिक बंटवारा का भी तैयार नहीं है तथा गैरसायल सं02 उक्त खरीद की गयी भूमि का विधिक बंटवारा हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है और गैरसायल सं01 व 2 ने सायलान को उनकी जमीनों से जबरन बेदखल करने की धमकी दी है। यदि गैरसायल सं01 व 2 अपनी बेजा हरकतों में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भंव नहीं हो सकेगी, इस कारण यह प्रार्थना पत्र हाजा विरूद्ध गैरसायलान बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी.आई. पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का सन्तुतन सायलान के ही पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को उनकी आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र सायलान को उनके हिस्से में बाहमी बंटवारे में आयी भूमि खसरा नम्बर 2886 से जबरन बेदखल नहीं करें, उनकी खडी फसल को नष्ट नहीं करें तथा सायलान को उनके हिस्से की आराजीयात को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। विना विधिक बंटवारा हुए आराजीयात मुतजिका मद नं02 वाद पत्र कुल किता 19 कुल रकबा 3.75 है0 ग्राम सूरौठ को रहन वय नहीं करें। बिना विधिक बंटवारा हुए वादीगण को उनकी उक्त हिस्से की आराजीयात से बेदखल नहीं करें। तहसीलदार सूरौठ राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें तथा गैरसायल सं01 व 2 ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति पहुॅचती हो। तहसीलदार सूरौठ गैरसायल सं01 द्वारा गैरसायल सं02 के हक में कराये गये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02.08.2021 के आधार पर खसरा नम्बर 2886 व 2887 वाके ग्राम सूरौठ के बाबत् राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण खोलकर गैरसायल सं02 के नाम का अंकन नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं02 बाद तामील स्वंय उपस्थित आये तथा दिनांक 15.09.2022 को गैरसायल सं02 व 3 उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायल सं01 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध जो दावा प्रस्तुत किया है, जो विधि एवं नियम विरूद्ध [illegible] ग[illegible] एवं बनावटी तथ्यों के आधार पंर प्रस्तुत होने के कारण सायलान को [illegible] सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान. का यह कथन कतई गलत है कि बाहमी बंटवारे के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2886 रकबा 0.20 है0 सायलान के हिस्से में आयी हो।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 गलत है और स्वीकार नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 2886 में सायलान ने बाजरे की फसल काश्त नहीं की है और ना ही उक्त भूमि पर सायलान का कब्जा काश्त है और ना ही कभी रहा है, सायलान का यह कथन भी कतई गलत है कि वे उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हो। सायलान का प्राईमाफेसी केस किसी भी प्रकार साबित नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। गैरसायल नं01 ने विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा कराने से कभी इंकार नहीं किया है। बल्कि गैरसायल नं01 ने विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा कराये जाने हेतु न्यायालय में मुकदमा उनवानी कुन्दन बनाम रूपसिंह आदि संस्थित कराया है कि जो विचाराधीन है, सायलान का यह कथन कतई गलत है कि गैरसायल नं01 तेज तर्राज व बेईमान प्रवृति का व्यक्ति हो और वह सायलान से भूमि छीनना चाहता हो या रहन व्यय करने पर आमादा हो।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 गलत है और स्वीकार नहीं है। दिनांक 15.08.2021 को सायलान व गैरसायलान के मध्य इस मद में वर्णित [illegible] नहीं हुआ है, गैरसायल सं01 द्वारा गैरसायल सं02 को अपने [illegible] व कब्जे [illegible] जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया गया है कि [illegible] सायलान व [illegible] गैरसायलान का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है, सायलान [illegible] में समस्त कथन कतई गलत व बनावटी महज दावा दायर करने के आधार पर दर्ज किये जाने हेतु बयान

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

किये हैं जो गैरसायल को स्वीकार नहीं है। सायलान की ओर से बिना किसी अधिकार व औचित्य के विधि एवं नियम विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो हर प्रकार से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 गलत है और स्वीकार नहीं है। गैरसायलान जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि गैरसायल नं01 विवादित भूमि का सहखातेदार काश्तकार है, कानूनन सहखातेदार काश्तकार को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जा सकता है और ना ही गैरसायल के किसी कृत्य से सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति पहुँचने की सम्भावना नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में साबित नहीं है बल्कि गैरसायल नं01 के पक्ष में साबित है।

विशेष कथन :– जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि दावा सायलान ने दो प्रतियों में प्रत्ये कपेज पर हस्ताक्षरित सायलान का विधि अनुसार शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं होने के कारण कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से प्रार्थना पत्र सायलान प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात के विधिवत विभाजन बाबत् गैरसायल सं01 की ओर से सायलान एवं अन्य गैरसायलान के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा उनवानी कुन्दन बनाम रूपसिंह आदि प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है, इसलिए प्रार्थना पत्र सायलान की कार्यवाही धारा 10 जा0दी0 के तहत स्टे किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायलान स्वच्छ हस्त व स्वच्छ मन से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है इसलिए सायलान विरूद्ध गैरसायलान कोई प्रतिकार पाने के अधिकारी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायल नं01 को विधि अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0 दी0 म्यादी दो माह देकर विधि अनुसार पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है कि जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2884 रकबा 0.38 है0, 2885 रकबा 0.30 है0, 2886 रकबा 0.20 है0, 2887 रकबा 0.18 है0, 2894 रकबा 0.31 है0, 2895 रकबा 0.24 है0, 2899 रकबा 0.01 है0, 2900 रकबा 0.13 है0, 2900/2940 रकबा 0.17 है0, 2901 रकबा 0.08 है0, 2901/2941 रकबा 0.18 है0, 2902 रकबा 0.09 है0, 2903 रकबा 0.10 है0, 2903/2942 रकबा 0.11 है0, 2904 रकबा 0.13 है0, 2904/2943 रकबा 0.11 है0, 2905 रकबा 0.24 है0, 2906 रकबा 0.38 है0, 2907 रकबा 0.41 है0, कुल किता 19 कुल रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी ऊषा पुत्री हरिचरण हि01/36, कुन्दन पुत्र पांच्या हि01/2, डवली पत्नि डौडी हि01/18, नाबालिग समयसिंह पुत्र डोडी संरक्षक विलायत माता डवली हि01/18, परषोत्तम पुत्र हरिचरण हि01/36, फूलसिंह पुत्र मनोहरी हि01/48, मुकेश पुत्र हरिचरण हि01/36, मानसिंह पुत्र मनोहरी हि01/48, रूपबाई पुत्री मनोहरी [illegible] रूपसिंह पुत्र डोडी हि01/18, रूमाली पत्नि मनोहरी हि01/48, [illegible] पुत्री हरिचरण हि01/36, विकम पुत्र बृजबिहारी हि01/96, [illegible] हि01/48, विरमा पत्नि बृजबिहारी हि01/96, सिन्टू पुत्र हरिचरण हि01/36, रामोती पत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

हरिचरण हि01/36, सोहनदेई पुत्री मनोहरी हि01/48, सोहनसिंह पुत्र मनोहरी हि01/48 जातियान माली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2884 रकबा 0.38 है0, 2885 रकबा 0.30 है0, 2886 रकबा 0.20 है0, 2887 रकबा 0.18 है0, 2894 रकबा 0.31 है0, 2895 रकबा 0.24 है0, 2899 रकबा 0.01 है0, 2900 रकबा 0.13 है0, 2900/2940 रकबा 0.17 है0, 2901 रकबा 0.08 है0, 2901/2941 रकबा 0.18 है0, 2902 रकबा 0.09 है0, 2903 रकबा 0.10 है0, 2903/2942 रकबा 0.11 है0, 2904 रकबा 0.13 है0, 2904/2943 रकबा 0.11 है0, 2905 रकबा 0.24 है0, 2906 रकबा 0.38 है0, 2907 रकबा 0.41 है0, कुल किता 19 कुल रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में सायलान का संयुक्त रूप से कुल हिस्सा 47/432 एवं गैरसायल सं01 हिस्सा 1/2 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिन्हें मुकदमा हाजा में सायलान ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जबकि रिकोर्डेड प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना कानूनन आवश्यक था। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्श आरिज है। गैरसायल सं01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रस्तुत नजीर आर.आर.टी. 2004 (2)पेज 954 उनवानी भैरूराम बनाम नारायण व आर.आर.टी. 2018(1) पेज 405 उनवानी घासीलाल बनाम रामभरोसी पेश की है, जिनके अनुसार रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गेरसायल सं01 उक्त विवादित आराजीयात में हि01/2 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा प्रत्येक रिको[illegible]दार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू-भाग पर कब्जा काश्त [illegible] है जबतक कि उन संयुक्त खातेदारों के मध्य विधिवत [illegible] पृथक खाता कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को [illegible]ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुन एवं अपूर्तनीय क्षति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान. खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 2884 रकबा 0.38 है0, 2885 रकबा 0.30 है0, 2886 रकबा 0.20 है0, 2887 रकबा 0.18 है0, 2894 रकबा 0.31 है0, 2895 रकबा 0.24 है0, 2899 रकबा 0.01 है0, 2900 रकबा 0.13 है0, 2900/2940 रकबा 0.17 है0, 2901 रकबा 0.08 है0, 2901/2941 रकबा 0.18 है0, 2902 रकबा 0.09 है0, 2903 रकबा 0.10 है0, 2903/2942 रकबा 0.11 है0, 2904 रकबा 0.13 है0, 2904/2943 रकबा 0.11 है0, 2905 रकबा 0.24 है0, 2906 रकबा 0.38 है0, 2907 रकबा 0.41 है0, कुल किता 19 कुल रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 2884 रकबा 0.38 है0, 2885 रकबा 0.30 है0, 2886 रकबा 0.20 है0, 2887 रकबा 0.18 है0, 2894 रकबा 0.31 है0, 2895 रकबा 0.24 है0, 2899 रकबा 0.01 है0, 2900 रकबा 0.13 है0, 2900/2940 रकबा 0.17 है0, 2901 रकबा 0.08 है0, 2901/2941 रकबा 0.18 है0, 2902 रकबा 0.09 है0, 2903 रकबा 0.10 है0, 2903/2942 रकबा 0.11 है0, 2904 रकबा 0.13 है0, 2904/2943 रकबा 0.11 है0, 2905 रकबा 0.24 है0, 2906 रकबा 0.38 है0, 2907 रकबा 0.41 है0, कुल किता 19 कुल रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ के बाबत् दिनांक 25.08.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से [illegible] साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 30-9 को लिखाकर [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली